

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

विवासीन अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

कदमा नम्बर:-18/2019 प्रार्थना पत्र

श्री सोनाथ पिता नानू बैरवा, उम्र बालिग निवासी सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

बनाम

—प्राथी

1-श्री उदा पिता नाथू बैरवा, उम्र बालिग निवासी सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा

2-श्री बंशी लाल पिता रामलाल गूजर, उम्र बालिग निवासी सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा

3-श्री श्यामलाल पिता नंदा जाट, उम्र बालिग निवासी सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा

4-श्रीमति प्रेम देवी पत्नि मूला जाट, उम्र बालिग निवासी सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा

5-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-25.2.2019

वकील प्राथी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सिदड़ियास पटवार हल्का सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1460, 1461, 1462 कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्राथी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्राथी के खाते व कब्जे काशत की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्राथी अपने खाते एवं कब्जे काशत की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।


प्राथी का प्रार्थना पत्र दिनांक 4.1.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे तामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 5 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 5 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 6.2.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्राथी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्राथी की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्राथी ने कथन किया कि प्राथी को अपने खाते व कब्जे काशत की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काशत करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्राथी अपने खाते एवं कब्जे काशत की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राथी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर कि ग्राम सिदड़ियास पटवार हल्का सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1460, 1461, 1462 कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि की सीमा



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

नकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये अभिलेख निरीक्षक, भीलवाड़ा को 300/-रूपये (तीन सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त या जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)

आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा भीलवाड़ा

